राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांकः प.9(3)देव/92 जयपुर दिनांक:- 11.9.97

आज्ञा

मंदिर सुपुर्दगी पर दिये जाने के संबंध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आज्ञा संख्या पं.15(5)राज/3/85 दिनांक 11.11.91 का अतिक्रमण करते हुये देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों का उनकी सेवा पूजा , नैवेद्य भोग की व्यवस्था एवं सुचारू देख रेख के लिये पंजीकृत निजी संस्थाओं को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु निम्नानुसार शर्ते निर्धारित की जाती है:-

1. मंदिर केवल उसी सम्प्रदाय विशेष के प्रन्यास समिति को सुपुर्दगी व गोद पर दिया जावेगा जिस सम्प्रदाय विशेष का मंदिर है। ऐसी संस्था राजस्थान अथवा अन्य प्रान्त में सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होनी आवश्यक है।

2. सम्पति पर स्वामित्व राज्य सरकार का रहेगा तथा प्रन्यास को उस सम्पत्ति की किसी भी रूप में हस्तानान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. सुपुर्दगी की अवधि प्रारंभ में 10 वर्ष रहेगी। इस अवधि में सुपुर्दगार के आचार -विचार/व्यवहार को ध्यान में रखकर जनहित में वांछनीय होने पर अवधि में आगे आवश्यकतानुसार 5-5 वर्ष की बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। मंदिर में कुप्रबंध एवं अव्यवस्था पाई जाने पर नोटिस देकर सुपुर्दगी की अवधि समाप्त होने के पूर्व भी राज्य सरकार सुपुर्दगी से वापस ले सकेगी।

4. सम्पत्ति की स्थापत्य कला एवं सेवा पूजा की परम्परा को ध्यान में रखते हुये उसका जीर्णोद्धार , सेवा पूजा, नैवेद्य, उत्सव एवं रख-रखाव का कर्तव्य सुपुर्दगार का होगा। सुपुर्दगार व सरकार के बीच आपसी समझौते के आधार पर मंदिर में कार्यरत स्टाफ को सरकार द्वारा वापस लिया जा सकेगा।

5. प्रन्यास को मंदिर सम्पति पर प्राप्त होने वाला दान व भेंट की राशि प्राप्त करने का अधिकार सुपुर्दगार का होगा।

6. मंदिर सम्पति की आय जो व्यवसायिक , आवासीय, कृषि भूमि अथवा अन्य स्रोतों से होती है वह राज्य सरकार में निहित रहेगी तथा राज्य सरकार वार्षिक बजट एवं आवश्यकतानुसार इस आय की राशि का 40 प्रतिशत भाग प्रथम वर्ष में प्रन्यास को सुपुर्द कर सकेगी तथा आगे के वर्ष में आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन कर तय की जा सकेगी।

7. मंदिर व उसकी सम्पति की देखभाल , सेवा पूजा, नैवेद्य भोग, इत्यादि की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा उसकी व्यवस्था में कमी पाये जाने पर राज्य सरकार सुपुर्दगार को सुनवाई का अवसर देकर सुपुर्दनामा निरस्त भी कर सकेगी।

8. रोजमर्रा के काम में आने वाले आभूषणों को यदि हस्तानान्तरित किया जाना है तो ऐसे आभूषणों की देवस्थान विभाग द्वारा तय की गई कीमत के बराबर जमानत देवस्थान विभाग को भुगतान करने पर ही ऐसे आभूषण सुपुर्दगी पर दिये जा सकेगें।

9. मंदिर की सुरक्षा की दृष्टि से एवं उचित व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से देवस्थान विभाग के अधिकारियों को समय समय पर मंदिर से संबंधित अभिलेखों के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा एवं किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर सुपुर्दगी निरस्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

10. मंदिरों की आय/व्यय का लेखा-जोखा रखा जावेगा तथा उसका अंकेक्षण करवाना होगा।

11. जिन मंदिरों की अवस्था जीर्ण-शीर्ण हो गई है उन्हें सुपुर्दगार के द्वारा एक नियत अवधि में मंदिर की टूट फूट की मरम्मत आदि करवानी होगी तथा मंदिर के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन जिससे मंदिर का स्वरूप बदलता हो, विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।

12. मंदिर संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उसका निपटारा प्रमुख शासन सचिव देवस्थान विभाग द्वारा किया जावेगा।

13. किसी भी मंदिर को सुपुर्दगी पर दिये जाने से पूर्व समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाएगी , ताकि प्रन्यास विशेष जिसे मंदिर सुपुर्दगी पर दिया जाना प्रस्तावित है , के संबंध में कोई आपत्तिजनक बात हो, तो विभाग की जानकारी में आ सकेगी।

14. मंदिर को सुपुर्दगी पर दिये जाने की पूर्ण जांच , परीक्षण, आयुक्त देवस्थान स्तर पर किया जाकर उक्त शर्तो पर मंदिर गोद/सुपुर्दगी पर देने का निर्णय आयुक्त देवस्थान के स्तर पर होगा।

मंदिर सुपुर्दगी पर देने संबंधी अनुबन्ध पत्र का प्रारूप संलग्न है।

आज्ञा से,

ह0

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर।

2 उपायुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर/जोधपुर।

3 सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर/जयपुर/कोटा /बीकानेर /जोधपुर /भरतपुर/ऋषभदेव एवं वृन्दावन।

4 मंत्रिमण्डल, सचिवालय की उनकी डी-6/मंमं/स्थाई समिति-2/97 दिनांक 13.8.97 के संदर्भ में।

5 रक्षित पत्रावली।

आज्ञा से,

ह0

उपशासन सचिव